अनुदान संख्या 70 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 70–MINISTRY OF POWER

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*5,00,00*	*4,62,48*	*–37,52*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*6,25*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1868,76,00	1868,77,00	1446,25,95	–422,51,05
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				420,23,23
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		2823,08,00	1485,66,58	–1337,41,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1337,14,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1000.00			
मुख्य शीर्ष "2801'' बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	184952.00	143779.77	143544.42	–235.35
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–41173.23			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	924.00	1074.00	1081.53	+ 7.53
पु.	R.	150.00			

(I) 13001.00 लाख रु. का प्रावधान (एक मामले में 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 13000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.13001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in one case) remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.13000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें"- 1000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.1000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the concerned functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2801"-

(B) Major Head "2801" -

(क) "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - आर्थिक सहायता - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम"- 10000.00 लाख रु. ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम को अन्य स्कीमों के साथ विलयित किए जाने और सरकार के अनुमोदन के अनुसार व्यय को आगामी वर्ष के लिए पुन:निर्धारित किए जाने के कारण थे।

(a) "Rural Electrification - Other Expenditure - Subsidies – Rural Electrification Corporation" - Rs.10000.00 lakhs - due to the merger of scheme of Rural Electrification with other schemes and rescheduling of expenditure to next year as approved by the Government.

(ख) "सामान्य"-

(b) "General" -

(i) "प्रशिक्षण - वितरण संबंधी सुधारों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण"- 500.00 लाख रु.;

(i) "Training - Training requirement for distribution Reforms" - Rs.500.00 lakhs;

(ii) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग"-

(ii) "International Cooperation" -

(1) "त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम परियोजना के लिए परामर्शी प्रभार"- 500.00 लाख रु.;

(1) "Consultancy Charges for Accelerated Power Development and Reforms Programme Project" - Rs.500.00 lakhs;

(2) "मूल्यांकन संबंधी अध्ययन और परामर्श के लिए निधियां"- 500.00 लाख रु ; और

(2) "Funds for Evaluation Studies and Consultancy" - Rs.500.00 lakhs; and

(3) ''ग्रामीण विद्युतीकरण पूर्ति तकनीकी मिशन''- 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीमों को अनुमोदित न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन - बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र''-

(क) ''सामान्य''- 386.95 लाख रु. की बचत (2709.20 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''प्रचालन तथा अनुरक्षण''- 10340.85 लाख रु. की बचत (110516.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें दिल्ली ट्रांस्को लि. से बिजली की कम बिक्री आय प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य''-

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान''- 1951.34 लाख रु. की बचत (3130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फरीदाबाद के प्रशिक्षण संस्थान के कुछ कार्यकलापों को नांगल में स्थानांतरित किए जाने और स्थायी वित्तीय आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से 'जीआईएस आधारित वैद्युत वितरण नेटवर्क प्रबंधन प्रशिक्षण सुविधा'' परियोजना के क्रियाकलापों के पुन: सूचीबद्ध किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अनुसंधान और विकास - केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान''- 2351.58 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा नई स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और चालू स्कीमों की धीमी प्रगति होने के कारण भी हुई।

(ग) ''अन्य व्यय''-

(i) ''केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण''- 1479.51 लाख रु. की बचत (4655.75 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

(3) "Rural Electrification Supply Technical Mission"- Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non approval of the schemes by the competent authority.

(II) Under Major Head "2801" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation - Badarpur Thermal Power Station" -

(a) "General" – saving of Rs.386.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2709.20 lakhs); and

(b) "Operation and Maintenance" – saving of Rs.10340.85 lakhs (against the sanctioned provision of 110516.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipts of sale proceeds of electricity from Delhi Transco Ltd.

(B) "General" –

(a) "Training – National Power Training Institute" - saving of Rs.1951.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3130.00 lakhs) was due to shifting of some of the activities of Training Institute of Faridabad to Nangal and re-scheduling of activities of the project "GIS based Electrical Distribution Network Management Training Facility" owing to non-approval by the Standing Financial Commission.

(b) "Research and Development – Central Power Research Institute" - saving of Rs.2351.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-approval of new schemes by the Expenditure Finance Committee and also slow progress of on-going schemes.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Central Electricity Authority"- saving of Rs.1479.51 lakhs (against the sanctioned

की तुलना में) विभिन्न स्कीमों अर्थात विद्युत प्रणाली, ताप विद्युत और ग्रिड प्रचालन में प्रौद्योगिकी उन्नयन को अनुमोदन/अनुमति प्रदान न किए जाने, कम ऊंची विभाजन दीवार के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का आधुनिकीकरण तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा का उन्नयन किए जाने और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ii) "विद्युत वित्त निगम लिमिटेड"- 10808.94 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत वित्त निगम से आर्थिक सहायता के लिए कम दावे प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(iii) "भारतीय पावर ग्रिड निगम"- 2981.50 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूनिफाइड लोड डिस्पेच सेंटर" स्कीम के अपेक्षाकृत कम लागत में पूरा हो जाने और इसके परिणामस्वरूप अनुदान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2801" - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - गरीबों के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण" - 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - विद्युत मंत्रालय"- 157.53 लाख रु. का अधिक व्यय (924.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकार की उपलब्धियों को घोषित करने के लिए विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को अदायगियां किए जाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

provision of Rs.4655.75 lakhs) was due to non-approval/clearance of various schemes viz. technology improvement in power system, thermal power and grid operation, modernisation of Central Electricity Authority with low height partition and upgradation of information technology facility at CEA by the competent authority and slow progress of the work of strengthening of Regional Electricity Boards.

(ii) "Power Finance Corporation Limited" - saving of Rs.10808.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to less receipts of claims for subsidies from Power Finance Corporation.

(iii) "Power Grid Corporation of India" - saving of Rs.2981.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to completion of the scheme "Unified Load Despatch Centres in North Eastern Region" at lesser cost and consequent reduction in the grant.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2801" - "Rural Electrification – Other Expenditure – Rural Electrification for poor Kutir Jyoti Programme - excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to reappropriation of funds from Major Head "2552" for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Power" - excess of Rs.157.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.924.00 lakhs) was due to additional requirement for making payment to Directorate of Advertising and Visual Publicity to advertise the achievements of the Government.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	93308.00			
			0.03	..	–0.03
पु.	R.	–93307.97			
मुख्य शीर्ष "4801'' विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	189000.00			
			148593.97	148566.58	–27.39
पु.	R.	–40406.03			

(I) 93808.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें''- 93308.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4801'' - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम''- 500.00 लाख रु. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अपनी परियोजनाओं को आंतरिक संसाधनों से निधियां प्रदान करने का निर्णय लिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4801'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पनबिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश''-

(I) Provision of Rs.93808.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" –"Other Expenditure – Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.93308.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional head for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "4801" – "Investment in Public Sector and other Undertakings – National Thermal Power Corporation of India" – Rs.500.00 lakhs - due to the decision to provide funds for its projects by National Thermal Power Corporation from its internal resources.

(II) Under Major Head "4801" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Hydel Generation – Investment in Public Sector and Other Undertakings"-

(क) ''राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत शक्ति निगम लि.''- 2613.00 लाख रु. की बचत (141455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''टिहरी पनबिजली विकास निगम''- 39155.70 लाख रु. की बचत (46731.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण''- 290.72 लाख रु. की बचत (314.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनईआरईबी के कार्यालय परिसर के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई स्कीम का अनुमोदन न किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीज़ल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 2126.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्ष को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(a) "National Hydro Electric Power Corporation Ltd." – saving of Rs.2613.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.141455.00 lakhs) was due to non-approval of the new scheme by the competent authority.

(b) "Tehri Hydro Development Corporation" – saving of Rs.39155.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.46731.00 lakhs) was due to non-approval of the revised cost estimates by the competent authority.

(B) "General - Other Expenditure – Central Electricity Authority" – saving of Rs.290.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.314.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by Central Public Works Department for NEREB office complex and non-approval of the new scheme by the competent authority.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4801" - "Diesel/ Gas Power Generation – Investment in Public Sector and Other Undertakings –North Eastern Electric Power Corporation" – excess of Rs. 2126.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to the functional head for the utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern region and Sikkim.